UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट - थाना राजेपुर

दिनांक - 20.09.2023

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगणों को जुआ खेलते हुए मय मालफड़ व जामा तलाशी के कुल 2850/- रुपये व 52 अदद ताश पत्तों के किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्द्रनाथ राय के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर 1. प्रताप भान पुत्र बबलू 2. कृपाल पुत्र रामलाल निवासीगण पूरनपुर जिठौली थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को मय 52 अदद ताश पत्ते व मालफड़ व जामा तलाशी के कुल 2850/- रुपये सहित गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम पता:-

1. प्रताप भान पुत्र बबलू निवासी पूरनपुर जिठौली थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
2. कृपाल पुत्र रामलाल निवासी पूरनपुर जिठौली थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।

फरार अभियुक्तगण के नाम पता:-

1. सोनू पुत्र महेश निवासी जिठौली थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।
2. रावी पुत्र अशोक निवासी जिठौली थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।

पूछताँछ का विवरण: अभियुक्तगणों के द्वारा अपने जुर्म की मांफी मांगते हुए बताया कि हम लोग गांव के किनारे बगिया में ताश पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे थे कि पुलिस बल ने पकड़ लिया और जो रुपये बरामद हुए है वह रुपये हम लोगों तथा जो दो लोग भाग गये उनके ही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 2850/- रुपये नगद
2. 52 अदद ताश पत्ते

गिरफ्तार अभियुक्त प्रताप भान का आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 166/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना राजेपुर

गिरफ्तार अभियुक्त कृपाल का आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 166/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना राजेपुर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री दिवाकर प्रसाद सरोज
2. उ0नि0 राजेश कुमार
3. हे0कां0 दिलीप कुमार
4. कां0 विजेन्द्र सिंह

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त शीशराम पुत्र भीमसेन निवासी भैसरी थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 128/2004 वाद सं0- 210/2004 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कम्पिल में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 20.09.2023 को मा0 न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर एक्ट कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त **शीशराम पुत्र भीमसेन उपरोक्त को दोषी पाते हुए 05 वर्ष साधारण कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी श्री शैलेश कुमार

पैरोकार हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार

थाना कम्पिल

@fatehgarhpolice FATEHGARH POLICE FATEHGARH POLICE